

फार्मेट सी-7

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण

(वर्ष 2011 की रिट्याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम :- भारतीय जनता पार्टी

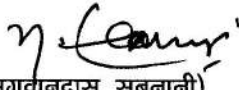
*निर्वाचन का नाम :- 18 विदिशा

राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम :- मध्यप्रदेश

(1) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- 18-विदिशा लोकसभा

अभ्यर्थी का नाम :- श्री शिवराज सिंह चौहान

क्र. सं.		
1.	आपराधिक पूर्व वृत्त	
	क. अपराधों की प्रकृति	असंज्ञेय
	ख. मामला संख्या	एस सी पी पी एम/01/24
	ग. न्यायालय का नाम	विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय) जबलपुर
	घ. क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं या नहीं (हां/नहीं)	नहीं
	ड. दोष सिद्धी की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च. भुगती गई सजा का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
2.	अभ्यर्थी के चयन का कारण चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुए किया जाएगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। (100 शब्द से अधिक न हो)	श्री शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सभी वर्गों के कल्याण के लिये योजनायें प्रारंभ की हैं जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित लाइली बहना है जिसके कारण प्रदेश की कई महिलायें अत्मनिर्भर हुई हैं। प्रदेश के विकास कार्यों के लिये भी इन्होंने कई योजनायें प्रारंभ की हैं जिसके कारण आमजनता को सड़क, बिजली, जल प्रदाय आदि सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ है।
3.	यह कारण बताएं कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया। (100 शब्द से अधिक न हो)	श्री शिवराज सिंह के विरुद्ध मानहानि का न्यायालयीन प्रकरण इसी वर्ष राजनैतिक द्वेष भावना से दर्ज कराया गया है, अन्यथा इसके पूर्व इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण प्रचलित नहीं था।


(भगवानदास सबनानी)

विधायक
प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी
भारतीय जनता पार्टी,
मध्य प्रदेश